e-10

– III Bullet – ***

असमर्थता से युक्त व्यक्तियों के लिए नई नीतियाँ - 2012

निःशक्त जनों के लिए नई नीति - 2012

(New policies for persons with disability - 2012):-

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम - 2012 विकलांग लोगों के सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वास्थ्य समेत उनके विभिन्न अधिकारों की संरक्षण के लिए प्रावधानों का उपाय करता है।

यह अधिकार भारतवर्ष के विकलांग नागरिकों के अधिकार को नये रूप में व्याख्यायित करता है।

इस अधिनियम के अनुसार सरकार और स्थानीय प्राधिकरण विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में अनेक बिन्दुओं पर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं अथवा उनके हितों का संरक्षण करते हैं।

असमर्थता से युक्त व्यक्तियों के लिए नई नीतियाँ - 2012 का ~~प्रावधान~~ सुनिश्चित अधिकारों का प्रावधान:-

i) विकलांगों के अन्तर्निहित गरिमा का सम्मान व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता :-

ii) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी :-

iii) अवसर की समानता :-

iv) मानव विविधता का सम्मान :

v) उपयोगिता :

vi) पुरुष और महिला के बीच समानता :-

vii) विकलांग बच्चों की उभरती क्षमता का सम्मान :-

Scanned with CamScanner

C-10

विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम 1995 (Persons with Disabilities Act 1995)

(4) रोजगार के अवसर प्रदान करना (providing opportunities of employment) :-

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों का प्रमुख दायित्व है कि शारीरिक रूप से अक्षम छात्र एवं छात्राओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध तथा उनकी स्थापना (placement) की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिन क्षेत्रों में अक्षम छात्रों को रोजगार मिल सकता हो उन क्षेत्रों को सरकार द्वारा विकास किया जाना चाहिए।

(5) आरक्षण व्यवस्था (Reservation System) :-

सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए आरक्षण व्यवस्था होना चाहिए। वर्तमान समय में सरकार द्वारा नौकरियों में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के आरक्षण का प्रतिशत निश्चित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 4% की व्यवस्था की गयी है।

(6) यात्रा सम्बन्धी सुविधाएँ (Travelling Related Facilities) :-

यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं में इन छात्रों के लिए किरायों में छूट का प्रावधान होना चाहिए।

(7) अक्षमता रोकने के लिए शोध (Research for disability prevention) :-

इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के तथ्य को स्वीकार किया जाता है। इन शोधकार्यों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों की शारीरिक अक्षमताओं को रोकना तथा उन्हें दूर करना।

जैसे - दृष्टि से सम्बन्धित अक्षमता की विभिन्न... को शुरुआत बाल्यावस्था में ही मिला लिया जाना

(8) उपकरणों के निर्माण की व्यवस्था (Arrangement of Construction of Instruments):-

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों का यह भी दायित्व होगा कि शारीरिक अक्षमता से सम्बन्धित उपकरणों के निर्माण की व्यवस्था की जाए, जिससे कम दर पर अथवा निःशुल्क रूप में अक्षम छात्रों को इन उपकरणों को उपलब्ध कराया जा सके।

(9) स्वास्थ्य सुविधाएँ (Health Facilities):-

शारीरिक अक्षमता से युक्त छात्रों को विद्यालय में चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(10) उपकरण (Instrument):-

शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए उनकी अक्षमता से सम्बन्धित उपकरण निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे - पैरों से न चलने वाले छात्रों को व्हील चेयर एवं श्रवण अक्षमता से युक्त छात्रों के लिए श्रवण यंत्र उपलब्ध कराना आदि।

Scanned with CamScanner

Sep. C-10

② Disability (असमर्थता) / अक्षमता :-

अक्षमता/असमर्थता की अवधारणा बहुत ही व्यापक है। इसके अन्तर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप से अयोग्य बालक सम्मिलित होते हैं।

इस प्रकार अक्षमता की अवधारणा में मानसिक मन्दता, पिछड़ापन, विकलांगता, बाधिता तथा अधिगम अक्षमता का अध्ययन किया जाता है।

अक्षमता दो प्रकार के होते हैं :-

(i) शारीरिक अक्षमता (physical Disability)

(2) मानसिक अक्षमता (Mental Disability)

(1) शारीरिक अक्षमता (physical Disability) :-

शारीरिक विकलांगता से अभिप्राय जो शरीर से अक्षम हो। जैसे - देखने, सुनने, बोलने, चलने आदि में कठिनाई का सामना करना पड़ता हो।

शारीरिक अक्षमता (physical Disability)

- (i) दृष्टि (visual Disability)
- वाणी विकलांगता (Speech Disability)
- श्रवण विकलांगता (Hearing Disability)

Scanned with CamScanner

(3.) अपंगता (विकलांगता) (Handicapped) :-

अपंगता व्यक्ति की उन समस्याओं से सम्बन्धित है जो बाधिता और विकलांगता के फलस्वरूप होती है।

दूसरे शब्दों में कह सकते हैं - इस दोष के कारण सही ढंग से सीखने, रहने तथा पर्याप्त सामाजिकता की उपलब्धि में कठिनाई अनुभव करते हैं विकलांगता कहलाता है।

Definition of Handicapped :-

B. N. Tiwari के अनुसार :-

"विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी अवस्था में सामान्य व्यवहार, कार्यशक्ति एवं नियमित कार्यों को न्यूनाधिक प्रभावित कर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक असंतुलन उत्पन्न कर देती है।"

S.K. Sharma

Scanned with CamScanner